255/2024

| | |
|---|---|
| 20/11/25 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण एकपक्षीय। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ओर से विवादित भूमि मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने बावत अनुतोष चाहा गया है,जिसमे प्रार्थीनी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीनी की कब्जाशुदा भूमि मे विप्रार्थी आए दिन दंखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते है तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू है,यदि इसमे सफल हो गए तो प्राथीर्नी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जाऐगा। अतं प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रेकर्ड एवं मौका स्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश से विप्रार्थीगण को पांबद किया जावे।<br>हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीनी राहत प्राप्त करने की हकदार है अथवा नही। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है,क्योंकि विवादित भूमि की प्रार्थीनी खातेदार नही है,जबकि विप्रार्थी विवादित भूमि के खातेदारान होने के कारण स्थगन आदेश से पांबद नही किया जा सकता है।<br>उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनते है।<br>लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>(S.D.O.) बालोतरा, | |